कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 2241 दिनांक 13/09/2023

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, हजारीबाग।

विषयः— राष्ट्रीय उच्च पथ -99 चतरा वाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849392 हे0 (वन भूमि— 51.114 हे0 एवं जंगल झाड़ी— 12.97 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 796 (अनु0) दिनांक 16.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ -99 चतरा वाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849392 हे0 (वन भूमि— 51.114 हे0 एवं जंगल झाड़ी— 12.97 हे0) वन भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है जो निम्नवत है—

1. प्रासंगिक पत्र में विषयगत पथ निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 64.0849392 हे0 अंकित है जबकि वनभूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का अलग—अलग रकबा दिखाया गया है उसे जोड़ने के उपरांत 64.084 ही रकबा होता है। साथ ही प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में रकबा 64.084 है, Justification में रकबा 64.0849 है तथा उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण—पत्र में रकबा 64.0849 हे0 अंकित है। इस प्रकार कई जगहों पर भिन्न—भिन्न तरह के रकबा अंकित किया गया है इसमें सही रकबा सभी जगहों पर अंकित किया जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों एवं दस्तावेजों पर वर्त्तमान में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता का नाम, पदनाम तथा मुहर सहित हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।
3. प्रस्ताव में संलग्न झारखण्ड सरकार, पथ निर्माण विभाग का पत्रांक— प0नि0वि0/04—विविध—32/2014 2000 (S) दिनांक 05.04.2016 द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार वर्त्तमान में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता का ऑथराईजेशन लेटर प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. विषयगत पथ निर्माण में प्रभावित वृक्षों में से कितने वृक्षों का पातन आवश्यक है एवं कितने वृक्ष स्थल पर यथावत रहेंगे से संबंधित चार्ट बनाकर अधोहस्ताक्षरी से सत्यापन कराते हुए ऑनलाईन पार्ट—1 के Additional Information में अपलोड किया जाय एवं हार्डकॉपी में संलग्न किया जाय।

अतः उल्लेखित त्रुटियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0—यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

13/09/2023

Scanned with CamScanner